

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

श्री. दिव्यी केवल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 757 दिनांक 06/11/2020

प्रार्थी श्री. कुशल सोनी डा.डी.मानंद प्रकाश सोनी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 26128/- जमा

जरिये रसीद संख्या 7062/1336 1337

दिनांक 06/11/2020 को जमा करा दी है ।

9/11/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

*Kunal Soni*

(Kunal Soni)  
9829332290

जी+1  
भावासीय

P.No: ए/ए शहरा करवा 771 कोर्ट

ग्राम- जेला